बोतल लौटाइए, जमा-राशि पाइए: दिल्ली की प्रस्तावित योजना

प्रकाशन: 26 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: दिल्ली सरकार की प्रस्तावित डिपॉजिट रिटर्न योजना पर 25 नवंबर 2026 की रिपोर्ट.

प्रिलिम्स: पर्यावरण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, EPR

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-3, पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय नीतियाँ



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 25 नवंबर 2026 को बताया कि सरकार पुनर्चक्रण-योग्य कचरे के लिए प्रस्तावित डिपॉजिट रिटर्न योजना (DRS) बनाने की तैयारी में है। PET प्लास्टिक की बोतलें और खैनी, गुटखा जैसे तंबाकू-उत्पादों की पैकेजिंग शुरुआती श्रेणियों में हो सकती हैं।[1]

स्थिति: यह प्रस्ताव है, लागू योजना नहीं। रिपोर्टों में जमा-राशि, संग्रह-केंद्र और वापसी की व्यवस्था तय होने की बात नहीं है।

डिपॉजिट रिटर्न योजना क्या है

डिपॉजिट रिटर्न योजना एक प्रोत्साहन-आधारित व्यवस्था है। इसमें उपभोक्ता किसी निर्दिष्ट उत्पाद को खरीदते समय थोड़ी वापसी-योग्य जमा-राशि देता है। खाली पैकेजिंग निर्धारित संग्रह-केंद्र या अधिकृत विक्रेता को लौटाने पर यह राशि वापस मिल जाती है।[1]

सरल उदाहरण: बोतल की कीमत के साथ जमा-राशि जुड़ती है; बोतल लौटाने पर वही राशि वापस आती है। इससे बोतल कूड़े में जाने के बजाय अलग इकट्ठी होती है और पुनर्चक्रण-कतार में पहुँचती है।

प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत (polluter pays): कचरे की लागत उस पक्ष पर डाली जाए जो उसे पैदा करता या बेचता है। DRS में उपभोक्ता की सजगता के साथ उत्पादक की जिम्मेदारी भी जुड़ती है।

दिल्ली की योजना: अब तक क्या पता है

प्रक्रिया: मंत्री की अध्यक्षता में पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में नीति-ढाँचे और क्रियान्वयन-रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार दूसरे राज्यों के मॉडल, खासकर हिमाचल प्रदेश का, देखकर दिल्ली की जरूरत के अनुसार ढाँचा बनाना चाहती है। मंत्री ने पहले अधिकारियों से एक माह में विस्तृत प्रस्ताव माँगा था।[1]

अक्टूबर की रिपोर्ट: अक्टूबर की एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक पानी की बोतल पर 1 या 2 रुपये अतिरिक्त लेने का विचार है और शुरुआत पर्यटन-स्थलों से पायलट के रूप में हो सकती है। बोतलों पर QR कोड से वापसी का दावा करने की व्यवस्था की बात है। अधिकारियों ने कहा कि जमा-राशि, संग्रह-नेटवर्क और वापसी-प्रक्रिया अभी तय नहीं हुई।[2] ये आँकड़े अंतिम नियम नहीं हैं: दूसरे राज्यों में जमा-राशि अलग है।

दिल्ली में कचरे का पैमाना: दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि राजधानी में रोज लगभग 1,500 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें से 19 प्रतिशत असंसाधित रहता है।[2]

वैश्विक दावा: अधिकारियों के अनुसार 40 से अधिक देशों के DRS मॉडल में वापसी-दर 90 प्रतिशत से ऊपर और कुछ में 96 प्रतिशत तक रही है।[1] यह अधिकारियों का बयान है; यह भारत में परिणाम की गारंटी नहीं है।

दूसरे राज्यों के मॉडल

हिमाचल प्रदेश: राज्य के पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के तहत 2025 में DRS अधिसूचित की। जून 2025 की अधिसूचना में योजना की देखरेख के लिए उच्चाधिकार-प्राप्त समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं।[3]

उत्तराखंड और गोवा: उत्तराखंड के अधिकारी के अनुसार योजना 2022 में केदारनाथ में पायलट के रूप में शुरू हुई; बोतल-वापसी दर पहले 20-22 प्रतिशत थी और अब लगभग 90 प्रतिशत है; जमा-राशि 10 रुपये प्रति बोतल है। गोवा में 5 रुपये की जमा-राशि बताई गई।[2] ये अधिकारियों के बयान हैं।

कानूनी पृष्ठभूमि: EPR से DRS तक

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फरवरी 2022 में प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दिशानिर्देश अधिसूचित किए।[4] **EPR:** उत्पादक, आयातक और ब्रांड-स्वामी अपने पैकेजिंग-कचरे के संग्रह और पुनर्चक्रण की जिम्मेदारी साझा करें। DRS इसी जिम्मेदारी को उपभोक्ता के स्तर पर आर्थिक प्रोत्साहन से जोड़ता है।

डिजाइन के सवाल और चुनौतियाँ

- **जमा-राशि का स्तर:** बहुत कम राशि लोगों को वापसी के लिए प्रेरित नहीं करेगी; बहुत अधिक राशि कीमत बढ़ाएगी।
- **संग्रह-नेटवर्क:** दुकानों, कियोस्क और रिवर्स-वेंडिंग मशीनों की पहुँच तय करेगी कि वापसी सुविधाजनक है या नहीं।
- **अनौपचारिक क्षेत्र:** कचरा बीनने वालों की मौजूदा आजीविका योजना से जुड़नी चाहिए।
- **तंबाकू-पैकेजिंग:** हल्की, बहुपरतीय पाउच-पैकेजिंग को लौटाना और पुनर्चक्रित करना बोतल की तुलना में कठिन हो सकता है।
- **दुरुपयोग की रोकथाम:** QR कोड और डिजिटल पंजीकरण से धोखाधड़ी की जाँच करनी होगी।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"उपभोक्ता-स्तर के आर्थिक प्रोत्साहन से प्लास्टिक पैकेजिंग-कचरे का प्रबंधन बेहतर हो सकता है।" दिल्ली की प्रस्तावित डिपॉजिट रिटर्न योजना के संदर्भ में इसकी संभावनाओं और चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) | 15 अंक

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में:

डिपॉजिट रिटर्न योजना में उपभोक्ता वापसी-योग्य जमा-राशि देता है और खाली पैकेजिंग लौटाने पर राशि पाता है। यह प्रदूषक-भुगतान और EPR के विचार से जुड़ी है। दिल्ली की योजना अभी प्रस्ताव के चरण में है।

मुख्य भाग में:

- **संभावनाएँ:** स्रोत पर अलग संग्रह, पुनर्चक्रण के लिए साफ और एक-प्रकार का कच्चा माल, कूड़े और नालियों में कमी, उत्पादकों की जवाबदेही।
- **अन्य राज्यों के अनुभव:** हिमाचल की अधिसूचित DRS, उत्तराखंड के पर्यटन-स्थल पायलट और गोवा की जमा-राशि से सीख; वापसी-दर के आँकड़े अधिकारियों के बयान हैं।
- **चुनौतियाँ:** जमा-राशि का निर्धारण, संग्रह-केंद्रों की पहुँच, तंबाकू-पैकेजिंग की व्यावहारिक कठिनाई, धोखाधड़ी और अनौपचारिक कचरा-श्रमिकों का समावेशन।
- **संस्थागत व्यवस्था:** स्कीम-प्रशासक, उत्पादकों का पंजीकरण, डिजिटल पहचान (QR) और निगरानी-तंत्र।

निष्कर्ष में:

स्पष्ट नियम, सुविधाजनक वापसी-नेटवर्क और श्रमिकों के समावेशन के साथ DRS EPR को व्यवहार में बदल सकती है। अंतिम ढाँचे की प्रतीक्षा करना जरूरी है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

डिपॉजिट रिटर्न योजना (DRS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: DRS में उपभोक्ता खरीद के समय वापसी-योग्य जमा-राशि देता है और खाली पैकेजिंग लौटाने पर यह राशि वापस पाता है।

कथन 2: दिल्ली की DRS अधिसूचित हो चुकी है और पूरे शहर में लागू है।

कथन 3: प्लास्टिक पैकेजिंग पर EPR दिशानिर्देश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित हुए हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c)

कथन 1 सही है: यही DRS की मूल कार्यप्रणाली है।

कथन 2 गलत है: दिल्ली की योजना प्रस्तावित है; इसकी अधिसूचना या पूरे शहर में क्रियान्वयन की जानकारी नहीं है।

कथन 3 सही है: EPR दिशानिर्देश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित हुए (फरवरी 2022)।

स्रोत

1. PTI (Moneycontrol), 25 नवंबर 2026: दिल्ली की प्रस्तावित DRS (द्वितीयक स्रोत; आधिकारिक अधिसूचना अप्राप्त)
2. The Indian Express, 27 अक्टूबर 2026: दिल्ली की बोतल-वापसी योजना
3. हिमाचल प्रदेश सरकार, पर्यावरण विभाग: DRS उच्चाधिकार-प्राप्त समिति की अधिसूचना, 25 जून 2025
4. PIB, 18 फरवरी 2022: प्लास्टिक पैकेजिंग पर EPR दिशानिर्देश

यह भी पढ़ें

पुराने कचरा ढेरों से निकलते माइक्रोप्लास्टिक: सफाई के साथ निगरानी क्यों जरूरी है?

स्वच्छ सर्वेक्षण के दस साल: शहरी स्वच्छता में प्रतिस्पर्धा से संस्थागत बदलाव तक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: दिल्ली सरकार डिपॉजिट रिटर्न योजना बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें PET बोतलें और तंबाकू-पैकेजिंग शुरुआती श्रेणियाँ हो सकती हैं। यह अभी प्रस्ताव है; जमा-राशि और ढाँचा तय नहीं है।

डिपॉजिट रिटर्न योजना कैसे काम करती है?

उपभोक्ता खरीद के समय वापसी-योग्य जमा-राशि देता है। खाली पैकेजिंग निर्धारित संग्रह-केंद्र या अधिकृत विक्रेता को लौटाने पर राशि वापस मिलती है।

क्या दिल्ली की DRS लागू हो गई है?

नहीं। यह प्रस्तावित है। रिपोर्टों के अनुसार जमा-राशि, संग्रह-नेटवर्क और वापसी-प्रक्रिया अभी तय नहीं हुई है।

हिमाचल प्रदेश की DRS का कानूनी आधार क्या है?

राज्य के पर्यावरण विभाग ने इसे विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के अंतर्गत 2025 में अधिसूचित किया है।